दिनांक 10.07.2021
प्रेस विज्ञप्ति 10/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद मुरादाबाद/थाना कटघर</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 85 हजार रूपये नगद**
- **लूट की 01 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 09.07.2021 को थाना कटघर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देवापुर जाने वाले रास्ते पर पुल के पास से अभियुक्त जीशान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 85 हजार रूपये नगद, लूट की 01 दो पहिया वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना कटघर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 329/2021 धारा 392 भादवि में तीन अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया एवं वाहन उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कटघर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–जीशान निवासी मो0आजाद नगर एमडीए थाना मझौला जनपद मुरादाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 01 लाख 85 हजार रूपये नगद।

2–लूट की 01 दो पहिया वाहन।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गोमतीनगर

- **25—25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 10.07.2021 को थाना गोमतीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शहीद पथ प्रकाश इन कटिंग के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—रतनचन्द्र 2—राकेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी आदि के 19 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गोमतीनगर पर पंजीकृत कई अभियोगो में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रतनचन्द्र निवासी लक्ष्मीपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया।

2—राकेश निवासी गाजीपुर इन्दिरानगर थाना गाजीपुर कमिश्नरेट लखनऊ।

जनपद सोनभद्र/थाना पिपरी

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **एल्युमीनियम बिक्री के 04 लाख रूपये नगद**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 10.07.2021 को थाना पिपरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाथीनाला के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से एल्युमीनियम बिक्री के 04 लाख रूपये नगद, 01 ट्रक बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पिपरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 50/2021 धारा 406 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पिपरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेन्द्र निवासी रोरी थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1—एल्युमीनियम बिक्री के 04 लाख रूपये नगद।

2—01 ट्रक।

जनपद गाजियाबाद/थाना भोजपुर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की 01 चार पहिया वाहन, 02 मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, पैनकार्ड, वोटर आई0कार्ड, डीएल आदि**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 09.07.2021 की रात्रि थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना भोजपुर क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1—अशोक उर्फ राहुल 2—दीपक 3—सुमित को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की 01 चार पहिया वाहन (स्वीफ्ट डिजायर कार), 02 मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, पैनकार्ड, वोटर आई0कार्ड, डीएल आदि, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.07.2021 को थाना भोजपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद चार पहिया वाहन आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अशोक उर्फ राहुल निवासी बडौदा हिन्दुवान थाना पिलखुआ जनपद हापुड।

2—दीपक निवासी सपनावत थाना धौलाना जनपद हापुड।

3—सुमित निवासी कृपानगर बीघेपुर थाना धौलाना जनपद हापुड।

बरामदगी

1—लूट की 01 चार पहिया वाहन।

2—लूट के 02 मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, पैनकार्ड, वोटर आई0कार्ड, डीएल आदि।

3—03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस।

जनपद गोरखपुर/थाना कैण्ट

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 10.07.2021 को थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कूडाघाट तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त जुगनू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानो पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कैण्ट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 383/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जुगनू निवासी पतया थाना कसया जनपद कुशीनगर।

जनपद मथुरा/थाना बरसाना

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 10.07.2021 को थाना बरसाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कामा बार्डर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बरसाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 189/2021 धारा 376डी भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बरसाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नरेन्द्र निवासी नगला बन्डा महरावर थाना बयाना जनपद भरतपुर राजस्थान।

जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली नगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 लाख रूपये कीमत के लगभग 36 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 10.07.2021 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सालपुर रोड से 03 अभियुक्तों 1–कुन्दन 2–विष्णु 3–मोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 05 लाख रूपये कीमत के लगभग 36 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त विष्णु शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बलरामपुर, गोण्डा के विभिन्न थानो में लूट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कुन्दन निवासी रूइया बंगरा थाना जीरादेई जनपद सिवान बिहार, हालपता जानकी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

2—विष्णु निवासी रानी बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

3—मोहित निवासी ग्राम व पोस्ट मलारी थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1—लगभग 05 लाख रूपये कीमत के लगभग 36 किलोग्राम अवैध गांजा।

एस0टी0एफ0— शिक्षा विभाग में फर्जी/कूटरचित दस्तावेज/अनुमोदन—पत्र के आधार पर बैक डेट से नियुक्ति दिखाकर वित्त एवं लेखाधिकारी से दूरभिसंधि कर फर्जी तरीके से शिक्षको का वेतन व एरियर दिलाने वाले गिरोह के 05 सदस्य जनपद देवरिया से गिरफ्तार।

दिनॉकः 10—07—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को शिक्षा विभाग में फर्जी/कूटरचित दस्तावेज/अनुमोदन—पत्र के आधार पर बैक डेट से नियुक्ति दिखाकर वित्त एवं लेखाधिकारी से दूरभिसंधि कर फर्जी तरीके से शिक्षको का वेतन व एरियर दिलाने वाले गिरोह के 05 सदस्य जनपद देवरिया से गिरफ्तार, करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1—ओम प्रकाश मिश्रा पुत्र श्री लक्ष्मण मिश्र नि0 ग्राम—अहिलवार बुर्जुग पोस्ट—देवरिया मीर थाना वरियारपुर, देवरिया।

2–मुन्ना यादव पुत्र स्व0 लोरिक यादव निवासी–भटवलिया वार्ड नम्बर 01 थाना कोतवाली देवरिया।

3–अजीत उपाध्याय पुत्र स्व सुशील कुमार उपाध्याय नि0–म0न0 74 जी पंचवटी नगर शिवपुर रोड सिघडिया कुडाघाट, गोरखपुर।

4–राजकुमार मणि त्रिपाठी पुत्र स्व0 शिवशंकर नि0–बौरडीह थाना गौरी बाजार, देवरिया।

5–संजय कुमार आर्य पुत्र राम विलास आर्य निवासी–खामपार थाना खामपार जनपद देवरिया।

कुल बरामदगीः

1– 13,660/– रूपया नगद।

2– 11 अदद मोबाइल फोन (विभिन्न कम्पनियों के)

3– 01 अदद पैन कार्ड।

4– 02 अदद आधार कार्ड।

5– 01 अदद ड्राइविंग लाइसेन्स (ओम प्रकाश मिश्रा)

5– 01 अदद ए0टी0एम0 कार्ड एस0बी0आई0

6– 01 अदद कम्पयूटर सिस्टम मय सीपीयू मानीटर की–बोर्ड माउस, प्रिन्टर सहित

7– 01 अदद मुहर (वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, शिक्षा देवरिया)

8– भारी मात्रा में फर्जी/कूटरचित दस्तावेज

9– 01 अदद कार एम0जी0 हेक्टर (यू0पी0 53 डी0क्यू0 0049)

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान–

दिनांक 10.07.2021 को प्रातः लगभग 03 बजे कचहरी चौराहे के पास जनपद देवरिया।

विगत कुछ समय से एसटीएफ उ0प्र0 को, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 में फर्जी तरीके से कूटरचित अभिलेख तैयार कराकर एवं बैक डेड से शिक्षकों की नियुक्ति कराने वाले गिरोह के बारे में सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी क्रम में श्री अवधेश नारायन मौर्य, जिला विद्यालय निरीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपने पत्रांक 921/2021–22 दिनांक 17.05.2021 द्वारा वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, देवरिया द्वारा जनपद के अशासकीय सहायता

प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अनियमित एवं फर्जी रूप से नियुक्त कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये है। पत्र के साथ ही श्री अवधेश नारायण मौर्या के हस्ताक्षर से 04 शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन—पत्र भी संलग्न किया गया था। जिसके बारे में श्री अवधेश नारायण मौर्या द्वारा बताया गया कि यह अनुमोदन—पत्र फर्जी है, इस सम्बन्ध में उन्होने वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक को पत्र लिखा, परन्तु वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक, देवरिया से कोई जबाब नहीं आया।

उक्त जॉच हेतु एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई गोरखपुर को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। पुलिस उपाधीक्षक श्री धर्मेश कुमार शाही के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया कार्यालय से सम्बंधित शिक्षको के बारे में जानकारी हेतु सम्पर्क कर अभिलेख प्राप्त किया गया तथा जमीनी जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही थी। जॉच के क्रम में बेसिक शिक्षाधिकारी एवं वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक, देवरिया से कुछ अभिलेख मॉगे गये, जिससे यह ज्ञात हुआ कि 04 शिक्षको का अनुमोदन—पत्र वर्ष—2011 में जारी हुआ था। (जिसको श्री अवधेश नारायण मौर्या द्वारा फर्जी बताया गया था) जिनका प्रथम वेतन भुगतान एवं एरियर का भुगतान वर्ष—2016 में किया गया था। इस जानकारी के उपरान्त एसटीएफ की विशेषताओं का प्रयोग करते हुए एवं गोपनीय जानकारी प्राप्त की गयी तो ज्ञात हुआ कि एक गिराहे है, जो सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्थाई तौर पर शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए फर्जी/कूटरचित अनुमोदन—पत्र एवं अन्य फर्जी दस्तावेज तैयार कराते है। जिस पर इस गिरोह के लोगों, विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक पद पर फर्जी अनुमोदन—पत्र के आधार पर नियुक्त हुए शिक्षको एवं वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, देवरिया सहित कुल 17 लोगो के विरूद्ध निरीक्षक श्री सत्यप्रकाश सिंह, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 378/2021 अर्न्तगत धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 474, 120बी भा0द0वि0 का अभियोग थाना कोतवाली, जनपद देवरिया में पंजीकृत कराया गया।

एसटीएफ फील्ड इकाई, गोरखपुर टीम द्वारा उक्त अभियोग के विवेचक के साथ मिलकर आज दिनांक 10—07—2021 को निकट कचहरी चौराहा, थाना क्षेत्र कोतवाली देवरिया से इस गिरोह के 04 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के उपरान्त अभियुक्त मुन्ना यादव को उसके निवास स्थान भटवलिया थाना कोतवाली क्षेत्र देवरिया से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ पर बताया कि यह लोग सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्थाई तौर पर नियुक्ति हेतु सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर स्कैन करके फर्जी तरीके से शिक्षक के पद का अनुमादन—पत्र तैयार करते है तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज भी तैयार करते है। इस प्रकार यह लोग बैक डेट से नियुक्ति दिखाकर एरियर का पैसा भी भुगतान करा देते है। इस पूरे अपराधिक गठजोड़ में वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, देवरिया पूरी तरह से सम्मिलित है तथा साथ रहकर फर्जी अनुमोदन—पत्र तैयार कराते है।

गिरफ्तार अभियुक्त अजित उपाध्याय इसी तरह से फर्जी अनुमोदन पत्र तैयार कराकर अपने भाई दिलीप कुमार उपाध्याय को शिक्षक के पद पर नियुक्त कराया है एवं अन्य लोगों से भी पैसा लेकर फर्जी तरीके से शिक्षक पद पर नियुक्ति कराया है। अभियुक्त राजकुमार मणि पेशे से ठेकेदार है, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक देवरिया के साथ रहता है, इस तरह के फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में उनका पूरा सहयोग करता है और इसी प्रकार से फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपनी पत्नी कुमारी रंजना को भी सहायक अध्यापक के पद पर सहदेव बालिका, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बाबू बभनी, देवरिया में नियुक्त कराया है। अभियुक्त ओमप्रकाश मिश्र शिक्षक है, जो वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में अटैच है, ओमप्रकाश मिश्रा ने अपनी रिश्तेदार स्वेता मिश्रा को भी फर्जी अनुमोदन—पत्र के आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्त कराया है। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि स्वेता मिश्रा की बैक डेट से नियुक्ति के बाद एरियर में मिले पैसे और अन्य पैसा मिलाकर 40 लाख रूपये राजकुमार मणि एवं वित्त एवं लेखाधिकारी, जगदीश लाल श्रीवास्तव को दिया गया है। अभियुक्त जनार्दन उपाध्याय पूर्व में वित्त एवं लेखाधिकारी के कार्यकाल में क्लर्क के पद पर था, जो इस समय रिटायर है परन्तु यह

भी फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज बनाने में सहयोग करता है। अभियुक्त संजय कुमार बीएसए कार्यालय देवरिया में अनुचर हैं, जो डिस्पैच रजिस्टर में हेरफेर कर अंकित करता है एवं रजिस्टर के पेज फाड़ना एवं कूटरचना करता है। यह समस्त लोग आपसी साठ—गाठ एवं सहमती के साथ जगदीश लाल श्रीवास्तव वर्तमान वित्त एवं लेखाधिकारी देवरिया के साथ दूरभिसंधि के साथ करते है।

ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि कुछ शिक्षको के फर्जी/कूटरचित अनुमोदन के कागजात मुन्ना यादव के भटवलिया जनपद देवरिया के पास मिलेगा। मुन्ना यादव के घर पहुँचने पर मुन्ना यादव घर पर मौजूद मिला, मुन्ना यादव के घर से, एक ही विद्यालय के एक ही शिक्षक के एक से अधिक विभिन्न पत्रांक पर फर्जी/कूटरचित अनुमोदन—पत्र, बी0एस0ए0 द्वारा हस्ताक्षरित एवं बिना हस्ताक्षरित बरामद हुआ। जिसमें कुमारी रंजना, स्वेता मिश्रा एवं इसके स्वंय के पुत्र विनय कुमार सहित 08 शिक्षको का अनुमोदन था। जगदीश लाल, श्रीवास्तव वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक देवरिया बिना किसी सत्यापन के एवं स्वंय फर्जी अनुमोदन पत्र तैयार कराने में सहयोग कर वेतन एवं एरियर निर्गत कर देता है। इसके एवज में प्रति अभ्यर्थी के हिसाब से पैसा लेता है। पूछताछ पर यह भी ज्ञात हुआ कि कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन देवरिया के सात शिक्षकों को बचाने के लिये बी0एस0ए0 कार्यालय के बाबू जयशंकर श्रीवास्तव के माध्यम से वर्तमान बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रति शिक्षक दो—दो लाख रूपये दिये गये है। अब तक की जॉच एवं अभिलेखों के अवलोकन से 19 शिक्षको का फर्जी तरीके से अनुमोदन पत्र तैयार कराकर नियुक्ति कराये जाने का पता चला है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को मु0अ0सं0 378/2021 अर्न्तगत धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 474, 120बी भा0द0वि0 का अभियोग थाना कोतवाली, जनपद देवरिया में दाखिल किया गया जा रहा है, अग्रिम विविध कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ0— जनपद बस्ती के थाना परसुरामपुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 25,000/— रूपये के ईनामी अपराधी को एस0टी0एफ0 ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 10—07—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को मु0अ0सं0—206/2021, धारा 3(1) यू पी गैंग0 एक्ट, थाना परसरामपुर जनपद बस्ती में वांछित अभियुक्त रू0 25,000/— का पुरस्कार घोषित वांछित अपराधी विकास सिंह को जनपद बस्ती से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः

विकास सिंह पुत्र स्व0 राम बुझारथ, निवासी— दहड़ा बाबू थाना हरैया जनपद बस्ती।

बरामदगीः—

1. 01 अदद आल्टो कर (UP 32 AX 4465)
2. 01 अदद तमंचा 12 बोर 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर
3. 600/—रु0 नगद
4. 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थानः—

दिनाँक 10—07—2021 समय— 04:05 बजे स्थान— परसा—अयोध्या मार्ग पर स्थित हैदराबाद पुलिया के निकट थाना क्षेत्र परसरामपुर, जनपद बस्ती (उ0प्र0)

विगत कुछ समय से वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 के विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री विशाल विक्रम सिंह अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन किया जा रहा था।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना परसुरामपुर, बस्ती के एक मुकदमें में वांछित एवं रू0 25 हजार का इनामी अभियुक्त विकास सिंह जनपद बस्ती के थाना क्षेत्र परसुरामपुर में किसी से मिलने आने वाला है। इस सूचना पर उ0नि0 मनोज सिंह के नेतृत्व में मु0 आरक्षी सुधीर सिंह, आरक्षी रमेश उपाध्याय, अमित कुमार, सत्य प्रकाश वर्मा, कमांडो धीरज भदौरिया की एक टीम जनपद बस्ती के लिए रवाना की गयी। एसटीएफ टीम जनपद बस्ती पहुॅचकर ज्ञात हुए स्थान पर पहुॅचकर वांछित अभियुक्त विकास सिंह को परसा–अयोध्या मार्ग पर स्थित हैदराबाद पुलिया के निकट थानाक्षेत्र परसरामपुर, जनपद बस्ती (उ0प्र0) से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त विकास सिंह का अपराधिक इतिहासः–</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	33/21	272, 273 भा0द0वि0 एवं 60ए/60 आ0 अधि0	परसुरामपुर	बस्ती
2	206/21	3(1)यूपी गैंग0 एक्ट,	परसुरामपुर	बस्ती
3	260/21	3/25 आर्म्स एक्ट	परसुरामपुर	बस्ती

गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 206/2021, धारा 3(1) यू पी गैंग0 एक्ट, थाना परसरामपुर जनपद बस्ती में दाखिल किया जा रहा है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————